FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0247 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/09/2026 17:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 26/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 26/05/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:58 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/09/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/09/2026 17:22:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** PANCHAYAT SAMITI HANUMANGARH, TOWN JILA HANUMANGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम):

   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AASHISH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOPAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.7,DHOLIPAL, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.7,DHOLIPAL, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESHWARL SUTHAR		पिता:AASHARAM	1. GAON 22 N D R, POST OFFICE,KISHANPURA DIKHANADA,HANUMANGARH, HANUMANGARGH,RAJASTHAN ,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 26.05.2026 को समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गोपाल उम्र-45 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 7, धोलीपाल जिला हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित आया। परिवादी श्री आशीष कुमार ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया। परिवादी श्री आशीष कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी श्री श्याम एण्ड ब्रॉदर्स के नाम से परोपराईट फर्म है। मैं अपनी फर्म द्वारा पंचायत समिति हनुमानगढ़ में MLA LAD, MP LAD, SFC व FFC के निर्माण कार्य टेण्डर प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता हूं, इन कार्यों में पंचायत समिति हनुमानगढ़ एजेन्सी होने के कारण इन सारे कार्यों की पेमेन्ट पंचायत समिति BDO के हस्ताक्षर व OTP के द्वारा की जाती है। MLA LAD की पेमेन्ट जयपुर से होती है जो BDO के द्वारा OTP देने के बाद फॉरवर्ड की जाती है। MLA LAD के तहत मेरे द्वारा टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण लालचंद के घर से मोमन भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़, सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण हेतुराम भाट के घर से कृष्ण भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली प0स0 हनुमानगढ़ व सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण करतार भाट के घर से सीताराम डाल के घर तक ग्रा0पं0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़ के कार्य किये गये है तथा एसएफसी के कार्य सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण डॉ0 महेन्द्र सिह के घर से बलकरण सिह के घर तक शेष कार्य ग्राम पंचायत बनवाला तथा पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति हनुमानगढ़ के क्वार्टर के मरम्मत कार्य, उक्त कार्यो की कुल राशि 416045497656 (MLA LAD व SFC कार्यों की) रूपये है। जिनकी बिल पास करना बकाया है। उपरोक्त पॉचों कार्यो के बिल (CC) पास करने की एवज में पंचायत समिति हनुमानगढ़ के BDO श्री रामेश्वर लाल सुथार मुझसे 20,000/-रूपये ले चुके है और 15000/-रूपयों की रिश्वत की मांग कर रहे है। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के दो अन्य कर्मचारी श्री राकेश चाहर व श्री राजदीप सिह भी मेरा जायज कार्य अटका कर मुझे परेशान कर रहे है। श्रीमान् जी रामेश्वर लाल सुथार BDO पंचायत समिति हनुमानगढ़ मुझसे मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत की मांग कर रहे है, मेरी इनसे कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेन देन बकाया है, मैं इन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी श्री आशीष कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी से पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया।परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी द्वारा सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण लालचंद के घर से मोमन भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़, सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण हेतुराम भाट के घर से कृष्ण भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली, सी.सी. ब्लॉक सड़क निर्माण मय नाली करतार भाट के घर से सीताराम डाल के घर तक ग्रा0पं0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़, सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण डॉ0 महेन्द्रसिह के घर से बलकरण सिह के घर तक के कार्य आदेश व अन्तिम बिल की प्रति व पंचायत समिति परिसर से कार्य के बिल की प्रति पेश कि जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.45 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री आशीष से ब्युरो के श्री विनय विशाल कानि. 576 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री आशीष कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, परिवादी आशीष कुमार ने बताया की श्री रामेश्वरलाल सुथार BDO मिंटिग में बाहर रहते है, उनकी पंचायत समिति में उपस्थित के संबंध में गोपनीय रूप से मालूमात करके आपको बता दूंगा तब आप विनय विशाल जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भेज देना, मै श्री रामेश्वरलाल सुथार BDO से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी श्री आशीष कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, श्री विनय विशाल को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03.40 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया की श्री रामेश्वर लाल सुथार बी.डी.ओ. पंचायत समिति हनुमानगढ़ में आ चुके है, आप विनय विशाल को भेज दो। समय 03.45 पीएम पर श्री विनय विशाल कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर हनुमानगढ़ टाउन के लिए उसके स्वयं के निजी वाहन से रवाना किया। समय

04.35 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री विनय विशाल कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हनुमानगढ़ टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री आशीष कुमार उपस्थित मिला, परिवादी श्री आशीष कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू कर बी.डी.ओ. श्री रामेश्वरलाल सुथार के कार्यालय पंचायत समिति की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया, परिवादी श्री आशीष कुमार कुछ समय बाद वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, परिवादी आशीष कुमार ने बताया की पंचायत समिति में श्री रामेश्वर लाल सुथार बी.डी.ओ. मुझे मिले जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में बात की तो उन्होने मेरे से पूर्व में लिये गये रूपयों की हां भरते हुए कहा की जैसे आपको उचित लगे वो कर देना। परिवादी ने बताया की वो मेरे से 15000/-रूपये रिश्वत के लेकर ही काम करेगें। परिवादी श्री आशीष कुमार ने कहा की अभी मुझे जरूरी काम है मै आपके साथ नहीं आ सकता इस पर निर्देशानुसार उसे वहीं पर छोड़ते हुए, मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आरोपी द्वारा परिवादी द्वारा पूर्व में दिये गये रूपयों के बारे में स्वीकृति दी है और जैसा आपको उचित लगे वो कर देने बाबत कहा है। आईन्दा परिवादी आशीष कुमार के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 27.05.2026 समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार उपस्थित आया व अवगत करवाया कल मुझे श्री विनय विशाल जी मुझे पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पास मिल गये थे, जिन्होने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया था, मैं पंचायत समिति कार्यालय में चला गया था, विनय विशाल जी बाहर ही रूक गये थे, मैं पंचायत समिति कार्यालय में श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी से मिला था जिन्होने मेरे से मेरे काम के बारे में बात करते हुए उन्होने मेरे से पूर्व में लिये गये रूपयों की हां भरते हुए कहा की जैसे आपको उचित लगे वो कर देना। फिर मै बाहर आकर विनय विशाल जी से मिला था जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद किया था , फिर मुझे जरूरी काम था इसलिए मैं साथ नहीं आया था , विनय विशाल जी वहां से चले गये थे। परिवादी ने बताया की श्री रामेश्वरलाल सुथार मेरे से 15000/-रूपये रिश्वत के जरूर लेगा। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को बताया की आरोपी द्वारा आपके द्वारा पूर्व में दिये गये रूपयों के बारे में स्वीकृति दी है और जैसा आपको उचित लगे वो कर देने बाबत कहा है, इस कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वत मांग सत्यापन दुबारा कराने हेतु कहा तो परिवादी ने स्वीकृति दी और कहा की मैं पंचायत समिति में श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी की उपस्थिति का पता करके आपको सूचित कर दूंगा। समय 12.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 26.05.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी. आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 02.10 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 26.05.2026 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260526_1558 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 08 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि. 576 से दो अलग-अलग 08 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-b18dc4a500f525808b592cca770133fdc751dafc है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीलड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 26.05.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियों फाईल है जिसमें एक ऑडियो फाईल 260526_1558 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- b18dc4a500f525808b592cca770133fdc751dafc है। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GreenTech 8 Micro SD HC I अंकित है उसे सफेद कागज में लपेटकर माचिस की खाली की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 02.25 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार ने बताया की मैने गोपनीय रूप से मालूमात किया तो श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी वी.सी. में गये हुए है और शाम तक वापिस आयेगें, इस कारण आज मिलने की संभावना नहीं है, उनकी पंचायत समिति में उपस्थिति के संबंध में गोपनीय रूप से मालूमात करके आपको बता दूंगा तब आप विनय विशाल जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भेज देना, मैं श्री रामेश्वर लाल सुथार BDO से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा । इस पर परिवादी श्री आशीष कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 02.06.2026 समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि आज रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी पंचायत समिति में उपस्थित है और मै उनसे पुनः रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा इस पर परिवादी

श्री आशीष कुमार व श्री विनय विषाल कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर हनुमानगढ़ टाउन के लिए परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया। समय 01.20 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री विनय विशाल कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं व परिवादी आशीष कुमार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हनुमानगढ़ टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के पास पहुंचे, परिवादी श्री आशीष कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू कर बी.डी.ओ. श्री रामेश्वरलाल सुथार के कार्यालय पंचायत समिति की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया, परिवादी श्री आशीष कुमार कुछ समय बाद वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, परिवादी आशीष कुमार ने बताया की पंचायत समिति में श्री रामेश्वर लाल सुथार बी.डी.ओ. मुझे मिले जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में बात की व दौराने वार्ता पांच हजार रूपये उन्हे देने चाहे तो उन्होने कहा एक बारी तेरे पास रख, तेरा हिसाब मेरी डायरी में नोट है मैने कहा की पन्द्रह हजार के लगभग है तो उन्होने कहा की ज्यादा है मैने नोट कर रखा है, और बाद में एक साथ ही सारे दे देना। परिवादी श्री आशीष कुमार ने कहा की अभी मुझे जरूरी काम है मै आपके साथ नहीं आ सकता इस पर निर्देशानुसार उसे वहीं पर छोड़ते हुए, मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी आशीष कुमार के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 03.06.2026 समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार उपस्थित आया व अवगत करवाया है कल मै व श्री विनय विशाल जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मेरी गाड़ी से पंचायत समिति हनुमानगढ़ गये थे, जिन्होने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया था, मैं पंचायत समिति कार्यालय में चला गया था, विनय विशाल जी बाहर ही रूक गये थे, मैं पंचायत समिति कार्यालय में श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी से मिला था जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में बात की व दौराने वार्ता पांच हजार रूपये उन्हे देने चाहे तो उन्होने कहा एक बारी तेरे पास रख, तेरा हिसाब मेरी डायरी में नोट है मैने कहा की पन्द्रह हजार के लगभग है तो उन्होने कहा की ज्यादा है मैने नोट कर रखा है, और बाद में एक साथ ही सारे दे देना। फिर मै बाहर आकर विनय विशाल जी से मिला था जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद किया था , फिर मुझे जरूरी काम था इसलिए मैं साथ नहीं आया था , विनय विशाल जी वहां से चले गये थे। परिवादी आशीष कुमार को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 12.45 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 02.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 02.00 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 02.06.2026 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260602_1251 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 08 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि. 576 से दो अलग-अलग 08 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-
1ec49e36d990a742baf7304ff33051d0026d8806 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 02.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियों फाईल है जिसमें एक ऑडियो फाईल 260602_1251 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 1ec49e36d990a742baf7304ff33051d0026d8806 है। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GreenTech 4 Micro SD HC I अंकित है उसे सफेद कागज में लपेटकर माचिस की खाली की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 02.25 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार ने बताया की मेरी भतीजी का आईआईटी में सलेक्शन हुआ है और उसकी काउंसलिंग हेतु फार्म भरने हेतु अभी जाना है, इस कारण मै एक दो दिन में आपके पास रिश्वत राशि की व्यवस्था करके उपस्थित हो जाउंगा, इस पर परिवादी आशीष कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 08.06.2026,11.06.2026 व 22.06.2026 को परिवादी श्री आशीष कुमार से जरिये दूरभाष संपर्क किया गया तो उसने कहा की वह किसी जरूरी कार्य की वजह से व्यस्त है व जैसे ही बी.डी.ओ. साहब मुझसे सम्पर्क करते हैं मैं आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 29.06.2026 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री आशीष कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अति.पुलिस अधीक्षक का एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कहा की मेरे द्वारा दिनांक 26.05.2026 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर BDO श्री रामेश्वरलाल सुथार के विरूद्ध रिश्वत मांग करने के

संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर आप द्वारा सत्यापन करवाने का कहने पर मेरे द्वारा दिनांक 26.05.2026 को BDO श्री रामेश्वरलाल सुथार से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जिन्होने मेरे से मेरे काम के बारे में बात करते हुए उन्होने मेरे से पूर्व में लिए रूपयों की हां भरते हुए कहा कि जैसे आपको उचित लगे वो कर देना। इस पर दिनांक 02.06.2026 को मेरे द्वारा BDO श्री रामेश्वर लाल सुथार से पुनः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो BDO श्री रामेश्वर लाल सुथार ने मेरे कार्य के संबंध में बात की व जब मैने दौराने वार्ता उन्हे 5000/-रूपये देने चाहे तो उन्होने कहा कि एक बार तेरे पास रख, तेरा हिसाब मेरी डायरी में नोट है तब मैने कहा कि 15000 के लगभग है उन्होने कहा कि ज्यादा है मेरा नोट किया हुआ है और कहा कि बाद मे सारे एक साथ दे देना, फिर मेरी भतीजी का आईआईटी में सिलेक्शन होने पर मेरे द्वारा आपसे एक-दो दिन का समय चाहा गया था फिर मुझे कुछ जरूरी काम होने की वजह से मैं ब्यूरो कार्यालय नहीं आ पाया। अब मुझे कार्यालय पंचायत समिति हनुमानगढ़ से पता चला है कि मेरे काम से संबधित जो पहले पेन्डिग बिल थे उन्हे जयपुर फारॅवर्ड कर दिया गया है। मैं हमारे गांव धोलीपाल ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में जिला कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ को ज्ञापन देता रहता हूं जिसकी खबरे न्यूज पेपर में आती रहती है। इस वजह से पंचायत समिति हनुमानगढ़ BDO श्री रामेश्वर लाल सुथार को शक हो गया है कि मैं उन्हे रिश्वत लेते पकड़वा सकता हूं इसलिए वो अब मेरे से बात नहीं करते है, इसलिए अब आगे की ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं है। अतः अब तक हुई कार्यवाही पर BDO पंचायत समिति हनुमानगढ़ श्री रामेश्वर लाल सुथार के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.30 पीएम पर रूबरू गवाहन के गोपनीय सत्यापन कार्यवाही विरूद्ध रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ में दिनांक 27.05.2026 व दिनांक 03.06.2026 में मालवजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील को उपयोग मे लिया गया था उस पीतल की सील के नमूने फर्द में अंकित किये जाकर फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजत की गई। समय 01.50 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी आशीष कुमार को आवष्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। इस प्रकार परिवादी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गोपाल उम्र-45 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 7, धोलीपाल जिला हनुमानगढ़ के द्वारा पंचायत समिति हनुमानगढ़ के सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण लालचंद के घर से मोमन भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़, सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण हेतुराम भाट के घर से कृष्ण भाट के घर तक ग्रा0प0 भुन्नावाली प0स0 हनुमानगढ़ व सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण करतार भाट के घर से सीताराम डाल के घर तक ग्रा0पं0 भुन्नावाली ढाणी प0स0 हनुमानगढ़ के कार्य किये गये है तथा एसएफसी के कार्य सी.सी. ब्लॉक सड़क मय नाली निर्माण डॉ0 महेन्द्र सिह के घर से बलकरण सिह के घर तक शेष कार्य ग्राम पंचायत बनवाला तथा पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति हनुमानगढ़ के क्वार्टर के मरम्मत कार्य करवाये गये। उक्त पॉचों कार्यो के बिल (CC) पास करने की एवज में पंचायत समिति हनुमानगढ़ के BDO श्री रामेश्वर लाल सुथार मुझसे 20,000/-रूपये ले चुके है और 15000/-रूपयों की रिश्वत की मांग कर रहे है। परिवादी आशीष कुमार द्वारा आरोपी विकास अधिकारी रामेश्वरलाल सुथार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.05.2026 को विकास अधिकारी रामेश्वरलाल सुथार का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो विकास अधिकारी रामेश्वरलाल सुथार ने परिवादी से पूर्व में लिये गये रूपयों की हां भरते हुए कहा की जैसे आपको उचित लगे वो कर देना। फिर दिनांक 02.06.2026 को पुनः रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो पंचायत समिति में श्री रामेश्वर लाल सुथार बी.डी.ओ. ने परिवादी के कार्य के संबंध में बात की व दौराने वार्ता परिवादी आशीष कुमार ने आरोपी विकास अधिकारी रामेश्वरलाल सुथार को पांच हजार रूपये उन्हे देने चाहे तो उन्होने कहा एक बारी तेरे पास रख, तेरा हिसाब मेरी डायरी में नोट है परिवादी ने कहा की पन्द्रह हजार के लगभग है तो आरोपी रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी ने कहा की ज्यादा है मैने नोट कर रखा है, और बाद में एक साथ ही सारे दे देना आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, इस प्रकार श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी, पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री आशीष कुमार से उसके द्वारा पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन के अधीन करवाये गये पॉचों कार्यो के बिल (CC) पास करने की एवज में परिवादी से पूर्व में लिये गये रूपयों की हां भरते हुए कहा की जैसे आपको उचित लगे वो कर देना व पुनः सत्यापन के दौरान परिवादी के कार्यों के संबंध में वार्ता करते हुए जब परिवादी द्वारा पांच हजार रूपये आरोपी को देने चाहे तो आरोपी श्री रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी ने कहा एक बारी तेरे पास रख, तेरा हिसाब मेरी डायरी में नोट है परिवादी ने कहा की पन्द्रह हजार के लगभग है तो आरोपी रामेश्वरलाल सुथार विकास अधिकारी ने कहा की ज्यादा है मैने नोट कर रखा है, और बाद में एक साथ ही सारे दे देना आदि रिश्वत मांग करना पाया गया। अतः आरोपित श्री रामेश्वरलाल सुथार पुत्र श्री आशाराम, उम्र-50 वर्ष निवासी गांव 22 एनडीआर, पो.ओ. किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ हाल अति0 विकास अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़ के विरूद्ध वर्णित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान

महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।(सुधा पालावत) अति.पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़..............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामेश्वरलाल सुथार पुत्र श्री आशाराम, उम्र-50 वर्ष निवासी गांव 22 एनडीआर, पो.ओ. किशनपुरा दिखनादा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट नम्बर 07 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1429-32 दिनांक 01.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDER KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/09/2026 17:30:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)